राजस्व अपील संख्या 43/2019
अनवान
लक्ष्मीनारायण वगैरा बनाम श्रीमती जमना वगैरा

दिनांक 18–4–2019

पत्रावली बाद जांच कार्यालय से पेश हुई । उक्त अपील न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा प्रकरण संख्या 11/2017 अनवान श्रीमती जमनादेवी बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 3–1–2019 के विरूद्ध अधिवक्ता श्री मूलसिह पंवार द्वारा दिनांक 27–3–19 को प्रस्तुत की गई, उक्त अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से एक केवियट प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति द्वारा प्रस्तुत होने पर उन्हे रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नोटिस एवं अपील मीमो आदि की प्रतियां उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16–4–2019 को अपीलांट अधिवक्ता एवं केवियटर अधिवक्ता को सुना जाकर पत्रावली आदेश हेतु आज रखी गई थी। स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नही दिया गया, अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांटगण के नाम दिनांक 27–7–2018 के जारी नोटिस न्यायालय मे अदम तामिल प्राप्त हुए थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–1–2019 पारित कर दिया, जो आदेश विधिक प्रकिया के विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से उसे निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी को रिमाण्ड करने मे सहमति प्रकट करते हुए कथन किया कि इसी न्यायालय के आदेश मे कोई तारीख पेशी मुकर्रर कर

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

दी जाये उक्त तारीख पेशी पर उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी के समक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत कर देंगे तथा पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित कर दिया जायेगा । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे प्रकरण को 1 माह मे निर्णित करने के निर्देश भी अधीनस्थ न्यायालय को दिये जावें ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3-1-2019 आदि का अवलोकन किया । जिससे प्रथमदृष्टियां यह प्रकट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे नोटिस तामिल हुए बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है । इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी वर्तमान मामले को पक्षकारान की सुनवाई की तिथी नियत कर प्रकरण को समयसीमा मे निर्णित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड करने बाबत सहमति प्रकट की है ।

ऐसे मे अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को इसी स्टेज पर स्वीकार किया अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3-1-2019 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लूनी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वर्तमान अपील के अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को एक माह की अवधि मे निस्तारित करें । उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 10-5-2019 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर